

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक० प्रक० क०-1095 / 14

संस्थापित दि० 30 / 12 / 14

फाईलिंग नं. 233504005222014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----**अभियोजन**

—: विरुद्ध :-

1. रवि पिता लक्ष्मण, उम्र 27 वर्ष,
 2. लक्ष्मण पिता जत्त, उम्र 52 वर्ष,
 3. गिरजाबाई पति लक्ष्मण, उम्र 47 वर्ष,
 4. सावित्रीबाई पति सुभाष, उम्र 30 वर्ष,
- सभी:-नि० जाति मेहरा, पेशा मजदूरी, नि०ग्राम छावल,
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----**अभियुक्तगण**

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30 / 12 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा-4 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 16 / 12 / 14 समय 21:00 बजे या लगभग ग्राम छावल रवि पराहे का मकान, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी शिवानी जो कि आप अभियुक्त रवि की पत्नी, अभियुक्त लक्ष्मण की बहू, अभियुक्त सावित्री की देवरानी, अभियुक्त गिरजाबाई की बहू है, के साथ कुरता की। आपने फरियादी के माता-पिता से पचास हजार रुपये प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगन के लिए शास्ति कर दुष्टेरेत किया।

2— दिनांक 30 / 12 / 16 को फरियादी शिवानी उर्फ शिवकली और अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा-4 राजीनामा योग्य न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका ने दिनांक 18.12.14 को श्री पुलिस अधीक्षक बैतूल को एक आवेदन पत्र विषय दहेज की मांग कर मारपीट करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि आवेदकगण दहेज की मांग करना, अनावेदक कं०-1 कहता है कि उसके पिता ने जमीन बेची है उनसे 50 हजार रुपये लेकर आ, तब ही उसे रखेगा, मना करने पर अनावेदक ने उसके साथ दिनांक 04.10.14 को उसके साथ मारपीट कर घर से भगा दिया था, जिसकी शिकायत महिला डेक्स बैतूल में की थी जिस पर परिवार परामर्श केन्द्र बैतूल में समझाईश देकर उसके पति के साथ भिजवा दिया गया था। अनावेदकगण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा अनावेदकगण कुरता पूर्ण व्यवहार करते थे, उसे दहेज के लिए मारपीट करते थे कहते थे कि 50 हजार रुपये लेकर नहीं

आयेगी तो उसे नहीं रखेंगे, अगर रहेगी तो नौकर के सामान रहना होगा, रवि कहता है कि दूसरी शादी करेगा उसे नहीं रखेगा। दिनांक 16.12.14 को रवि ने उसके साथ मारपीट की तथा कहने लगा कि उसे नहीं रखना, तब उसने उसके भाई गुड्डू को फोन किया, तब उसके भाई छावल आया तो सभी लोग कहने लगे कि उसकी बहन को लेकर जा, उसे नहीं रखना है वह दूसरी शादी करेंगे, तब वह उसके भाई के साथ बैतूल आ गई। श्री पुलिस अधीक्षक बैतूल को दिया गया आवेदन प्र०पी०-1 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

4- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2 है जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1057/14 भा.द.सं धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 30/12/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-"क्या आपने दिनांक 16/12/14 समय 21:00 बजे या लगभग ग्राम छावल रवि पराहे का मकान, थाना आमला, जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी शिवानी जो कि आप अभियुक्त रवि की पत्नी, अभियुक्त लक्ष्मण की बहू, अभियुक्त सावित्री की देवरानी, अभियुक्त गिरजाबाई की बहू हैं, के साथ कुरता की?"

2- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी के माता-पिता से पचास हजार रुपये प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगन के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क० 1, 2 का निराकरण

7- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है, क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8- अभियोजन शिवानी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद वह उसके ससुराल छावल चली गई थी, जहां घरेलू बातों को लेकर उसका ससुराल वालों से वाद विवाद होता था, उसके गांव में अच्छा नहीं लगता था। आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी। उसने आरोपीगण के खिलाफ पुलिस अधीक्षक बैतूल को लिखित आवेदन प्र०पी०-1 दिया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे शादी की फोटो एवं शादी का कार्ड जप्त की थी जिसका जप्ती पत्रक प्र०पी०-3 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही सभी

आरोपीगण उससे 50 हजार रुपये की मांग करते थे और दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था और परिवार परामर्श केन्द्र की समझाईश के बाद जब वह दुबारा उसके ससुराल गई, तब भी आरोपीगण ने उससे 50 हजार रुपये की मांग की और उसे प्रताड़ित किया तथा उसके पति ने दूसरा विवाह करने की धमकी दी।

9— आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को लिखित आवेदन प्र०पी०-1 एवं रिपोर्ट प्र०पी०-2 का बी से बी भाग लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को पुलिस कथन प्र०पी०-4 का ए से ए भाग लेख कराई थी। आगे इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है और वह उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

10— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि वह नाराजगी में उसके भाई के घर चली गई थी भाई ने लिखित आवेदन प्र०पी०-1 बनाकर दिया था वही आवेदन उसने पुलिस को दिया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी दो-दो बात हो जाने के कारण उसने आरोपीगण के खिलाफ शिकायत कर दी थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है वह उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ मानसिक व शारीरिक व रूप से प्रताड़ित कर कुरता की हो और उसके माता-पिता से 50 हजार रुपये प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में मांगने के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया हो, का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०द०वि० की धारा 498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी गुड्डू नागले (अ०सा००२) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी शिवानी जो कि आप अभियुक्त रवि की पत्नी, अभियुक्त लक्ष्मण की बहू, अभियुक्त सावित्री की देवरानी, अभियुक्त गिरजाबाई की बहू है, के साथ कुरता की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के माता-पिता से पचास हजार रुपये प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगन के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 व 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी शिवानी जो कि आप अभियुक्त रवि की पत्नी, अभियुक्त लक्ष्मण की बहू, अभियुक्त सावित्री की देवरानी, अभियुक्त गिरजाबाई की बहू है, के साथ कुरता की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के माता-पिता से पचास हजार रुपये प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज मांगन के लिए शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण रवि, लक्ष्मण, गिरजाबाई, सावित्रीबाई को भा०द०वि० की धारा-498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14— अभियुक्तगण के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड, शादी की फोटो मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०